# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 06/2025

**अपीलांट्स –**

1. भगाराम पुत्र हरचंदराम
   जाति जाट निवासी पावडों का तला
   तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर

***बनाम***

**रेस्पोडेंट्स –**

1. तहसीलदार धनाऊ
2. खेताराम पुत्र मंगलाराम
3. जोगाराम पुत्र मंगलाराम
4. भोमाराम पुत्र मंगलाराम
5. मालुदेवी पत्नी मंगलाराम
   जाति जाट निवासी पावडों का तला
   तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर

**राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश कमांक राजस्व/2022/980 दिनांक 18.08.2022 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के समर्पण हेतु तहसीलदार धनाऊ द्वारा पारित किया।**

उपस्थिति :–
1. श्री उगराराम साहरण, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री खेताराम सैन, रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

## निर्णय

दिनांक : 18.08.2025

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार धनाऊ के द्वारा भूमि के समर्पण हेतु पारित आदेश क्रमांक राजस्व/2022/980 दिनांक 18.08.2022 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा पावडों का तला के खसरा नंबर 169 रकबा 38.3803 हैक्टेयर भूमि के खातेदारान अपीलार्थी एवं उतरदाता संख्या 02 से 5 कौम जाट निवासी पावडों का तला तहसील धनाऊ के नाम दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने अपनी खातेदारी की अपीलाधीन भूमि के समर्पण हेतु दिनांक 16.08.2022 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न नक्शा के अनुसार भूमि समर्पण करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार धनाऊ द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश क्रमांक राजस्व/2022/980 दिनांक 18.08.2022 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.02.2025 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते



अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता को सुना। अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा पावडों का तला के खसरा नंबर 169 रकबा 38.3803 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम आई हुई है। जिसमें अपीलकर्ता का 1/2 हिस्सा व उतरदाता संख्या 2 से 5 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा अर्थात् प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्सा खातेदारी का था, जिसमें अपीलकर्ता एवं उतरदाता संख्या 2 से 5 के मध्य कई वर्ष पूर्व बाहमी बंटवाडा हो रखा था, जिस बाहमी बंटवाडें के अनुसार अपीलकर्ता व उतरदाता संख्या 2 से 5 अपने–अपने हिस्से पर काबिज थे एवं काश्त करते आ रहे थे। लेकिन राजस्व रेकर्ड में विवादित खेत का बंटवाडा नहीं होने की वजह से पक्षकारानों को अपने–अपने हिस्से की भूमि पर ऋण इत्यादि लेने में कठिनाईयां आ रही थीं तथा पक्षकारानों को अपने–अपने हिस्से की भूमि का विकास करने में कठिनाईयां होती थीं। इसलिए उतरदाता संख्या 2 अपीलकर्ता के पास आया और अपीलकर्ता को कहा कि अपन अपने खातेदारी जोत का सहमति से विभाजन तहसीलदार धनाऊ के पास कर देवे, जिस पर अपीलकर्ता ने जो एक 80 वर्ष का वृद्ध, अनपढ़ काश्तकार था, उसने उतरदाता संख्या 2 जो उसका रिश्ते में भतीज लगता था, उसकी बात पर विश्वास करते हुए उसको सहमति प्रदान कर दी, जिस पर उतरदाता संख्या 2 द्वारा तहसील कार्यालय में जाकर दस्तावेज तैयार करवाए तथा अपीलकर्ता एवं उतरदाता संख्या 3 से 5 को लेकर दिनांक 16.08.2022 को तहसीलदार कार्यालय धनाऊ लेकर गया तथा वहां पर पूर्व में तैयार दस्तावेजों पर अपीलकर्ता एवं अन्य खातेदारों के हस्ताक्षर करवा लिए तथा उतरदाता संख्या 1 द्वारा अपीलकर्ता एवं अन्य खातेदारों को बिना बताए उक्त दस्तावेजों को पंजीबद्ध कर दिया तथा उतरदाता संख्या 2 अपीलकर्ता एवं अन्य खातेदारों को पुनः गांव ले आया और कहा कि अपने खातेदारी जोत का विभाजन हो गया है तथा अब नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में इसका इंद्राज हो जावेगा, परंतु उतरदाता संख्या 2 द्वारा बंटवाडे की आड में रास्ता हेतु भूमि समर्पण करवा दिया जिसका ज्ञान अपीलांट को अर्सा 15 दिन पूर्व चला जब पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि आपका बेरा व आपकी ढाणी समर्पित भूमि अर्थात् राज्य सरकार के हिस्से की भूमि में आ रही है। इसलिए आप अपनी ढाणी हटा देवे तथा बेरे को हम ध्वस्त करवा देंगे। तब अपीलकर्ता ने पटवारी हल्का ने बताया कि उसने किसी प्रकार की भूमि का समर्पण नहीं किया है। तब पटवारी हल्का ने कहा कि आपने दिनांक 16.08.2022 को तहसील कार्यालय में अपनी भूमि में 3 बीघा 10 बीस्वा भूमि का समर्पण किया है। तब अपीलकर्ता को अपने हक व हकुक सशंय में होने पर उसने तहसील कार्यालय में जाकर राजस्व रेकर्ड अर्थात् समर्पण पत्र की प्रति प्राप्त की तब उसे सर्वप्रथम उक्त आदेश का ज्ञान हुआ कि उतरदाता संख्या 2 ने विभाजन करवाने के आड में 3 बीघा

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते



अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

10 बीस्वा भूमि का समर्पण के दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, जिस पर तहसीलदार धनाऊ ने बिना किसी प्रकार की जांच किए उक्त समर्पण दस्तावेज पर दिनांक 18.08.2022 को आलोच्य आदेश पारित किया है जो कि निरस्त योग्य है। इस प्रकार ज्ञान की तिथि से यह अपील अंदर म्याद पेश है। अतः अपील अपीलांट अंदर मयाद स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

5. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 के अधिवक्ता द्वारा जवाब में प्रकट किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 द्वारा खसरा नंबर 169 रकबा 38.3803 हैक्टेयर मौजा पावडों का तला में से भूमि समर्पित की गई थी, परंतु हल्का पटवारी द्वारा उक्त समर्पित भूमि की तरमीम मौके पर वास्तविक स्थल पर नही कर हम पक्षकारान के घरों के आगे समर्पित की गई है जो कतई विधि सम्मत नहीं है, जबकि हम संलग्न परिशिष्ट "अ" में बताए बरंग लाल के अनुसार भूमि समर्पित करने हेतु तत्पर हैं, जिसके लिए और भूमि समर्पित करनी पडेगी तो हम पक्षकारान समर्पित कर देंगे। वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में जिस स्थल पर समर्पित भूमि की तरमीम की गई है, जिस कारण वहां से मौके पर समर्पित रखा जाना कतई संभव नहीं है। इसलिए उक्त समर्पित आदेश को निरस्त/दुरस्त करते हुए संलग्न परिशिष्ट "अ" में बताए बरंग लाल अनुसार भूमि समर्पित हेतु तत्पर है। अतः अपीलांट द्वारा पेश अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.08.2022 को निरस्त करवाने के आदेश फरमावें।

6. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा पावडों का तला के खसरा नंबर 169 रकबा 38.3803 हैक्टेयर भूमि के खातेदारान अपीलार्थी एवं उतरदाता संख्या 02 से 5 कौम जाट निवासी पावडों का तला तहसील धनाऊ के नाम दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने अपनी खातेदारी की अपीलाधीन भूमि के समर्पण हेतु दिनांक 16.08.2022 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न नक्शा के अनुसार भूमि समर्पण करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार धनाऊ द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश क्रमांक राजस्व/2022/980 दिनांक 18.08.2022 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.02.2025 को प्रस्तुत की गई है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट किया है कि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा पावडों का तला के खसरा नंबर 169 रकबा 38.3803 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम आई हुई है। जिसमें अपीलकर्ता का 1/2 हिस्सा व उतरदाता संख्या 2 से 5 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा अर्थात् प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्सा खातेदारी का था, जिसमें अपीलकर्ता एवं उतरदाता संख्या 2 से 5 के मध्य कई वर्ष पूर्व बाहमी बंटवाडा हो रखा था, जिस बाहमी बंटवाडें के अनुसार अपीलकर्ता व उतरदाता संख्या 2 से 5 अपने–अपने हिस्से पर काबिज थे एवं काश्त करते आ रहे थे। लेकिन राजस्व रेकर्ड में विवादित खेत का बंटवाडा नहीं होने की वजह से पक्षकारानों को अपने–अपने हिस्से की भूमि पर ऋण इत्यादि लेने में कठिनाईयां आ रही थीं तथा पक्षकारानों को अपने–अपने हिस्से की भूमि का विकास करने में कठिनाईयां होती थीं।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते



अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

इस बाबत अपीलांट द्वारा बाहमी बंटवाडे के अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव पेश करने वास्ते उतरदाता संख्या 2 को अपनी सहमति जताई, परंतु उतरदाता संख्या 2 द्वारा छल द्वारा समर्पण प्रस्ताव पर अपीलांट के हस्ताक्षर करवा दिए एवं तहसीलदार धनाऊ से उक्त अपीलाधीन समर्पण आदेश पारित करवा दिया। जिसका ज्ञान अपीलांट को अर्सा 15 दिन पूर्व चला जब पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि आपका बेरा व आपकी ढाणी समर्पित भूमि अर्थात् राज्य सरकार के हिस्से की भूमि में आ रही है। इसलिए आप अपनी ढाणी हटा देवे तथा बेरे को हम ध्वस्त करवा देंगे। तब अपीलकर्ता ने पटवारी हल्का ने बताया कि उसने किसी प्रकार की भूमि का समर्पण नहीं किया है। अधिवक्ता उतरदातागण द्वारा अपने जवाब में यह प्रकट किया है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 द्वारा खसरा नंबर 169 रकबा 38.3803 हैक्टेयर मौजा पावडों का तला में से भूमि समर्पित की गई थी, परंतु हल्का पटवारी द्वारा उक्त समर्पित भूमि की तरमीम मौके पर वास्तविक स्थल पर नही कर हम पक्षकारान के घरों के आगे समर्पित की गई है जो कतई विधि सम्मत नहीं है, जबकि हम संलग्न परिशिष्ट "अ" में बताए बरंग लाल के अनुसार भूमि समर्पित करने हेतु तत्पर हैं, जिसके लिए और भूमि समर्पित करनी पडेगी तो हम पक्षकारान समर्पित कर देंगे। वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में जिस स्थल पर समर्पित भूमि की तरमीम की गई है, जिस कारण वहां से मौके पर समर्पित रखा जाना कतई संभव नहीं है। इसलिए उक्त समर्पित आदेश को निरस्त/दुरस्त करते हुए संलग्न परिशिष्ट "अ" में बताए बरंग लाल अनुसार भूमि समर्पित हेतु तत्पर है। इस आधार पर अपीलांट की यह अपील स्वीकार योग्य है। हमने अधिवक्ता पक्षकारान एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसमें यह पाया गया कि अपीलांट एवं उतरदाता संख्या 2 से 5 द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि मौजा पावडों का तला के खसरा संख्या 169 रकबा 38.3803 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में रकबा 3–10 बीघा भूमि राज्य पक्ष में करने हेतु तहसीलदार धनाऊ के समक्ष पेश होकर पूर्ण सहमति के साथ समर्पण प्रार्थना पत्र मय हस्ताक्षर पेश किया, जिसकी पहचान श्री जोगाराम, पटवारी हल्का धनाऊ द्वारा की गई, तथा तहसीलदार धनाऊ द्वारा विधिवत तरीके से उक्त भूमि का समर्पण आदेश जारी किया। तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार भी नक्शा लट्ठा ड्रेस अनुसार नजरी नक्शा बनाया गया, उस पर खातेदारों द्वारा सहमति प्रदान की गई। समर्पित स्थल नजरी नक्शा अनुसार ही नामान्तरकरण दायर किया गया। नजरी नक्शा अनुसार ही ऑनलाईन तरमीम पटवारी द्वारा की गई, जिसके खसरा नंबर आनलाईन 766/169 रकबा 0.5666 हैक्टेयर गै.मु.रास्ता वर्तमान जमाबंदी दर्ज की गई है, जो समर्पित भूमि वर्तमान मौके खसरा नक्शा एवं जमाबंदी अनुसार सही है, जिसका वर्तमान राजस्व ग्राम गोग उदासर है। अपीलांट द्वारा जानकारी होने के बावजूद इस अपीलाधीन समर्पण आदेश के करीब सवा दो वर्ष बाद हस्तगत अपील पेश की गई है तथा विलम्ब का कोई ठोस कारण नहीं दिया है। इस प्रकार हस्तगत अपील मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील मयाद बाहर होने व सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर (प्र.)

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
अति. जिला कलक्टर, बाड़मेर